फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्रीमती सोनिका | **विपक्षी :– श्री लालुराम**

किस्म मुकदमा – 212 रा.का.अ. | **पत्रावली संख्या : 142/22**

जीसीएमस : 2022/540

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 23.05.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपनी बहस में सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकने का कथन कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 21.12.2022 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार कर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जा चुका हैं। अतः मूल वाद स्वीकार हो जाने से मूल वाद में बंटवाडा होने तक उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 291 पर दर्ज आराजी नम्बर 2552/584, 587, 589 किता 3 कुल रकबा 2.0721 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद में बंटवाडा होकर अन्तिम डिक्री जारी होने तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:46 IST
Reason: SelfAttested